Helpline 1064 94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **जयपुर में रेल्वे का मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक (सी.एच.आई.) 40 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *19 जुलाई, बुधवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुये विकास कुमार मीणा मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, उत्तर–पश्चिम रेल्वे मण्डल, सीकर को जयपुर में परिवादी से **40 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक)** ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि आरोपी की बांदीकुई पोस्टिंग के दौरान किये गये कार्यों के बकाया बिलों को पास करने की एवज में विकास कुमार मीणा मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, उत्तर–पश्चिम रेल्वे मण्डल, सीकर द्वारा **50 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीर शरण** द्वारा मय टीम के जयपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये विकास कुमार मीणा पुत्र श्री पुखराज मीणा निवासी नांगल शेरपुर, तहसील टोड़ाभीम, जिला करौली हाल मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, उत्तर–पश्चिम रेल्वे मण्डल, सीकर को परिवादी से **40 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार किया गया है।

**एसीबी के महानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ एवं आरोपी के आवास एवं ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक)** ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।